वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय
फॉरेस्ट केम्पस,काउली ब्राउन रोड, आर.एस.पुरम, कोयम्बत्तूर – 641002 (T.N)
PH: 0422-2484100, FAX: 2430549, www.ifgtb.icfre.gov.in

फाइल सं.सीटीआर-I/24-133/2022/व.आ.वृ.प्र.सं/भर्ती/ग्रूप.सी दिनांक:14.10.2022

भर्ती सूचना

विज्ञापन सं.व.आ.वृ.प्र.सं/02/2022

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन को दर्शाता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है"

विस्तृत विज्ञापन

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान के अंतर्गत नीचे दिये गए नियमित पदों की भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25.11.2022 (23.00 घंटे) होगी।

क्रम सं.	पदों का नाम	7 वें सीपीसी के पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर	पदों की संख्या	श्रेणी	शैक्षणिक अर्हता	25.11.2022 के अनुसार आयु सीमा
01	बहुकार्य कर्मी	स्तर – 1 मूल वेतन: 18,000/-	05	आ.क.व -1 अ.पि.व(एन.सी.एल)-3 अ.ज.जा-1	10वी पास प्रमाणपत्र	18-27 आ.क.व के लिए 18-30 अ.पि.व के लिए 18-32 अ.ज.जा के लिए
02	निम्न श्रेणी लिपिक	स्तर – 2 मूल वेतन: 19,900/-	03	अनारक्षित-1 अ.पि.व(एन.सी.एल)-1 अ.ज.जा-1	12वी कक्षा पास प्रमाणपत्र	18-27 अनारक्षित के लिए 18-30 अ.पि.व के लिए 18-32 अ.ज.जा के लिए
03	तकनीकी सहायक	स्तर – 5 मूल वेतन: 29,200/-	02	आ.क.व -1	बीएससी (वनस्पति विज्ञान)	21-30 आ.क.व के लिए
				अ.पि.व(एन.सी.एल)-1	बीएससी (कृषि)	21-33 अ.पि.व के लिए

उपरोक्त भर्ती में भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग व्यक्ति के लिए कोई पद विशेष रूप से आरक्षित नहीं है। वे अपने संबन्धित श्रेणी जैसे आ.क.व, अ.पि.व, अ.ज.जा या सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के तहत निर्दिष्ट पदों में आवेदन कर सकते है।

उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर :

अनारक्षित (सामान्य श्रेणी) आ.क.व: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अ.पि.व (एन.सी.एल): अन्य पिछ्ड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) अ.ज.जा: अनुसूचित जनजाति

नोट:

1.अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व, आ.क.व, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जो मानकों में छूट दिये बिना ही अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होते है, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, में सहयोजित किया जाएगा।

2. आरक्षित रिक्तियों को पात्र अ.ज.जा, अ.पि.व, आ.क.व अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

3. अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि अनारक्षित रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिये बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों कि संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता हैं।

4. जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

5. दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह सेवा/पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हो।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्तियां अस्थायी है और भारत सरकार के अतिरिक्त निर्देशों और किसी भी मुकदमेबाज़ी के परिणाम के अधीन हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में नियुक्ति अनंतिम होगी और आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र के उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापन के अधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबन्धित होने का दावा फर्जी/झूठा है, तो कोई कारण बताए बिना तथा फर्जी/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कि जाने वाली अग्रिम कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। केवल निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबन्धित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

7.अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी जिनकी जाति केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध नहीं है (जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in) और जो अ.पि.व.- नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) अभ्यर्थियों के लिए लागू प्रावधानों के अंतर्गत नहीं हैं, उकनों सभी उद्देश्यों के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, अ.पि.व अभ्यर्थी जो अ.पि.व.- नॉन क्रीमी लेयर से संबन्धित नहीं है, अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में इंगित करेंगे।

1. **शैक्षणिक अर्हता:**

क्रम सं	पदों का नाम और पदों की संख्या	शैक्षणिक अर्हता
01	बहुकार्य कर्मी (05 पद)	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से 10वीं कक्षा पास प्रमाणपत्र वांछनीय: सम्बंधित विषय में 3 या उससे अधिक वर्ष का अनुभव
02	निम्न श्रेणी लिपिक (03 पद)	i)मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र ii)मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड ।
03	तकनीकी सहायक (क्षेत्र/प्रयोगशाला) (02 पद)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित क्षेत्र/विशेषज्ञता में बी.एस.सी डिग्री 1) वनस्पति विज्ञान (आ.क.व के लिए आरक्षित) 2) कृषि (अ.पि.व (एन.सी.एल) के लिए आरक्षित

उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 25.11.2022 को या उससे पहले वांछनीय आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।

नोट:

1. उन सभी अभ्यर्थियों को, जिन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, कट ऑफ तारीख अथवा उससे पूर्व यथा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में 10वीं/मध्यवर्ती/उच्च माध्यमिक/10+2/डिग्री परीक्षा के सभी संगत मूल प्रमाण -पत्र जैसे- अंक तालिकएं, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल रहने पर संस्थान द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी को जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते है कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा।